

विचार बिन्दु

दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य दीपक का नहीं उसकी लौ का होता है, जिसे कोई अँधेरा नहीं बुझा सकता। –विष्णु प्रभाकर

हिंदी की स्वीकार्यता बनाम उसका विरोध

भारत सरकार ने हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित कर रखा है और हिंदी के प्रति दक्षिण के कुछ राज्यों के प्रारंभिक विरोध के बाद हिंदी की स्वीकार्यता को लेकर स्थितियाँ लगभग सामान्य होने लगी थीं। हिंदी पढ़ने-बोलने और उसका प्रयोग करने से मिलने वाली सुविधाओं और लाभों के कारण उन क्षेत्रों के लोग भी हिंदी सीखने में रुचि लेने लगे थे जहाँ सामान्य जीवन में हिंदी का प्रयोग नहीं या बहुत कम होता था। हिंदी फ़िल्मों की लोकप्रियता, कुछ हिंदी धारावाहिकों की अत्यधिक लोकप्रियता और पर्यटन में वृद्धि की वजह से हिंदी के प्रयोग में ख़ुब वृद्धि हुई है। अब देश का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो जहाँ आपको केवल हिंदी जानने के कारण किसी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़े। जिन्हें धंधा करना है वे अन्य कारणों पर अपने व्यावसायिक हितों को तरज़ीह देते हैं, इसलिए हिंदी करीब-करीब पूरे भारत में समझी जाने लगी है। भारत के बाहर, विदेशों में भी अनेक कारणों से हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। जिन देशों में भारतीय अधिक संख्या में हैं वहाँ स्वभावतः हिंदी का चलन भी अधिक है। ऐसे कई देशों के बाज़ारों में तो आपको यह तक भ्रम होने लगता है कि आप उत्तर भारत के किसी शहर में हैं।

लेकिन इधर दक्षिण के कुछ राज्यों से एक बार फिर हिंदी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। यह बात समझने में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि विरोध के इन स्वरों के मूल में राजनीति है। सन् साठ के दशक में दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी का जो विरोध हुआ था, उसके मूल में भी राजनीति ही थी। असल में भाषा के मामले में दो चीज़ें काम करती हैं। एक उससे मिलने वाले अवसरों की बात और दूसरे उसके विरोध से होने वाला राजनीतिक लाभ। लोग किसी भाषा के प्रति यह जानकर सबसे ज़्यादा आक्रुष्ट होते हैं कि उससे रोजगार मिलने की संभावना कितनी बढ रही है। भारत में अंग्रेज़ी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता के मूल में यह अकेली सबसे बड़ी बात है। अगर कल को किसी जादू से अंग्रेज़ी से रोजगार मिलने की संभावनाएं क्षीण हो जाएं तो आप पाएंगे कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी की शिक्षा दिलवाने के बारे में इतने उत्साही भी नहीं रह जाएंगे। यही बात अभी बहुत सारी प्रांतीय भाषाओं के बारे में भी सच है। भले ही उन्हें अपनी मातृभाषा के रूप में पसंद करने वाले और उन भाषाओं के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रखने वाले ख़ूब कोशिश कर रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में इन भाषाओं की लोकप्रियता परवान नहीं चढ़ पा रही है। वजह वही कि हम अमुक भाषा को पढ़ तो लेंगे, लेकिन वह हमें रोजगार दिलाने में तो सहायक नहीं होगी। इसलिए उसे पढ़ें भी क्यों! जाहिर है कि ऐसे मामलों में भावुकता बहुत दूर तक आपका साथ नहीं देती है। इसी तरह किसी भाषा के विरोध के पीछे सबसे कारण उन विरोध से मिलने वाला राजनीतिक लाभ होता है।

इधर भारत में भाजपा के वर्चस्व वाली सरकार है और भाजपा की भाषा नीति सर्व विदित है। वह हिंदी की पक्षधर है। भाजपा के बड़े नेता, जिनमें सरकार की बड़ी शक्तिसयतें भी शामिल हैं, समय-समय पर हिंदी के पक्ष में बयान देते रहते हैं। ऐसा करके वे कुछ भी ग़लत नहीं करते हैं। हिंदी हमारे देश के संविधान के अनुसार हमारी राजभाषा है और सभी को इसे इस रूप में स्वीकार करना भी चाहिए। वैसे भी भारत जैसे बहु भाषा भाषी देश में किसी एक ऐसी भाषा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके, और जो अलग-अलग भाषा बोलने वालों के बीच पुल का काम कर सके। उदाहरण के लिए अगर एक बांग्ला भाषा भाषी को किसी तेलुगु भाषा बोलने वाले से संवाद करना हो तो वह किस भाषा में करेगा? कहना अनावश्यक है कि इन दोनों के बीच संवाद की यह भाषा हिंदी ही हो सकती है। बहुत लोग यह हक़ अंग्रेज़ी को देना चाहते हैं और एक संपर्क भाषा के रूप में वे इसका प्रयोग करते भी हैं। लेकिन इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अपनी अत्यधिक स्वीकार्यता के बावजूद अंग्रेज़ी हमारी भाषा नहीं है।

वैसे भी भारत जैसे बहु भाषा भाषी देश में किसी एक ऐसी भाषा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके, और जो अलग-अलग भाषा बोलने वालों के बीच पुल का काम कर सके।
उदाहरण के लिए अगर एक बांग्ला भाषा भाषी को किसी तेलुगु भाषा बोलने वाले से संवाद करना हो तो वह किस भाषा में करेगा?
कहना अनावश्यक है कि इन दोनों के बीच संवाद की वह भाषा हिंदी ही हो सकती है।

1.42 लाख विद्यार्थी हिंदी के कारण अनुत्तीर्ण हुए, और इस बात से राज्य में असंतोष का माहौल है। कर्नाटक में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू है और वहां के विद्यार्थियों को छठी कक्षा से तीन भाषाएं पढ़नी होती हैं। पहली भाषा के रूप में वे आम तौर पर कन्नड़ को चुनते हैं। दूसरी भाषा अंग्रेज़ी होती है और तीसरी भाषा के रूप में वे सामान्यतः हिंदी को चुनते हैं। वैसे वे हिंदी की बजाय संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु या मराठी को भी चुन सकते हैं, लेकिन चुनाव की यह सुविधा बहुत कम स्कूलों में उपलब्ध है। अब जो आधिकारिक आंकड़े हमारे सामने हैं उनके अनुसार इस परिक्षा में 7,21,782 विद्यार्थी शामिल हुए थे और उसमें से 5,79,382 अर्थात् 80.27 प्रतिशत उत्तीर्ण हो गए। शेष 1,42,400 अर्थात् लगभग बीस प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, और बताया जा रहा है कि उनके अनुत्तीर्ण होने का कारण हिंदी है। जो बात नहीं कही गई वह यह कि इन विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की एक बड़ी वजह ख़ुद राज्य सरकार भी है। यह बात सर्व विदित है कि कर्नाटक में हिंदी शिक्षकों की कमी है। यह तथ्य है कि यहां हिंदी शिक्षकों के जो 5060 पद स्वीकृत हैं उनमें से केवल 3532 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं और शेष 1,528 हिंदी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। अब यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो 1,42,400 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं इनके अनुत्तीर्ण होने के मूल में हिंदी नहीं, हिंदी शिक्षकों की कमी है। लेकिन टीकरा हिंदी के सर फोड़ा जा रहा है! इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक बयान देकर तीन भाषा वाले फॉर्मूले की जगह दो भाषाओं वाला फॉर्मूला लागू करने की बात कही है। वे तीसरी भाषा (मुख्यतः हिंदी) को पढ़ाना अनावश्यक मानते हैं।

यह बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि देश के बहुत सारे राज्यों की तरह कर्नाटक में भी अपनी भाषा के प्रति आगुन बहुत ज़्यादा है और इधर तो वहां अन्य भाषा बोलने वालों को छिटपुट हिंसा का सामना भी करना पड़ा है। स्थानीय अस्मिता के आग्रह अन्य भाषाओं की स्वीकार्यता को चुनौती देते हैं और स्वाभाविक ही है कि स्थानीय सरकार भी इस आग्रह के पक्ष में खड़ी नज़र आती है। अगर कर्नाटक सरकार समुचित संख्या में हिंदी शिक्षक नियुक्त नहीं करती है तो उसकी उदासीनता को समझा जा सकता है। लेकिन जब समाचार माध्यम हिंदी को अपना निशाना बनाते हैं तो मन दुखी होता है। लेकिन इस सबके बीच यह जानना सुखद भी है कि कर्नाटक के निजी स्कूलों के शिक्षकों के संगठन ने मुख्यमंत्री जी को इस मंशा से असहमति व्यक्त करते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले की उपादेयता को रेखांकित किया है।

मुझे हमेशा लगता है कि भाषा के दो पक्ष हैं। एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यावहारिक। सैद्धांतिक पक्ष यह है कि हमारे संविधान के अनुसार हिंदी इस देश की राजभाषा है तो हम सबको बिना किसी ना-नुकर के उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि सैद्धांतिक बात व्यवहार में भी लागू होती हो यह ज़रूरी नहीं। क्या यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि देश का एक बड़ा संगठन लंबे समय तक देश के राष्ट्र ध्वज से ही परहेज करता रहा है। क्या यह भी याद दिलाने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग देश के राष्ट्रगान के रूप में गुरुदेव रवींद्र गंध धैराज रचित उन गण मन को खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं! ऐसे में अगर कुछ लोग हिंदी को भी उसी तरह स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो यह एक यथार्थ है, भले ही यह हमारा सोच न हो। दूसरा पक्ष जो व्यावहारिक है वह सीधे भाषा की उपादेयता से जुड़ा है। लोग अपने आप वह भाषा सीख लेते हैं जिससे उनका काम चलता है और जिससे उनको फायदा मिले। हममें से बहुतों ने अंग्रेज़ी को इसी तर्क की वजह से अपनाया है, भले ही हम इसे गुलामी की भाषा कहकर इसके प्रति अपना रोष भी व्यक्त करते रहे हैं। और इसी तरह आज पूरे देश में किसी न किसी रूप में हिंदी भी बोली-पढ़ी जाने लगी है। हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि हिंदी को स्वीकार्यता देते और ऐसा हर काम करने से हमें बचना चाहिए जो हिंदी का विरोध करने वालों को अपने प्रयास तेज़ करने का मौका दें। यह साफ़ जाना ज़रूरी है कि किसी भी भाषा को, चाहे उससे हमारा कितना ही लगाव क्यों न हो, बल पूर्वक स्वीकार्य नहीं बनाया जा सकता।

–अतिथि संपादक,
 डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
 (शिक्षाविद और साहित्यकार)



सुनील दत्त गोयल

कई बार ऐसा होता है कि एक व्यवस्था, जो कभी देश की ज़रूरत थी, समय के साथ अनावश्यक बोझ बन जाती है। भारत के पूंजी बाजार में सीडीएसएल (सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड) और एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) भारत के दो पंजीकृत प्रतिभूति डिपॉजिटरी (सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज) हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर, बॉन्ड्स आदि प्रतिभूतियों को संदाहित करने वाली ;सुरक्षित तिजोरियाँ; हैं, ठीक वैसे ही जैसे बैंक धन रखता है।

इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार को पुरानी कागजी व्यवस्था से निकालकर सुरक्षित, तीव्र और डिजिटल प्रणाली में बदलना था। पूर्व में शेयर भौतिक प्रमाणपत्रों के रूप में होते थे, जिनमें खोना, जलना, चोरी, नकली हस्ताक्षर या डिलीवरी में हफ़्तों की देरी जैसी समस्याएं आम थीं। डिपॉजिटरी ने इन जोखिमों को समाप्त कर शेयरों को डिमेंट रूप में परिवर्तित किया, जिससे लेनदेन की गति बढ़ी (अब T+2 सेटलमेंट यानी ट्रेड के 2 दिन में हस्तांतरण), निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित हुई (इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व से धोखाधड़ी व ;खराब डिलीवरी; का अंत), लागत घटी (स्टाम्प ड्यूटी, डाक खर्च में 90 प्रतिशत कमी), और बाजार वैश्विक मानकों के अनुरूप

आएँ। सीडीएसएल का बाज़ार हिस्सा: मात्र 24 प्रतिशत (सक्रिय खाते: 3.54 करोड़)

यह कैसी ;प्रतिस्पर्धा?; यह तो एक स्पष्ट एकाधिकार (सीडीएसएल) है, जिसके साथ एक दयनीय, कमज़ोर दूसरा खिलाड़ी (एनएसडीएल) खींचा जा रहा है! इसे बनाए रखना सरकारी और निजी संसाधनों की सीधी बर्बादी है – और कोई नहीं।

वित्तीय बर्बादी: आँखें खोलने वाले आंकड़े

एनएसडीएलका लागत ढांचा: एफवाइ 24 में एनएसडीएलने सीडीएसएल(221.6 करोड़) से ज़्यादा लेनदेन राज्य कमाया (308.6 करोड़), लेकिन फिर भी उसका ईबीआइटडा (382.49 करोड़) सीडीएसएल(584.43

हुआ (विदेशी निवेशकों के लिए विश्वसनीयता)।

सीडीएसएल (1999 में स्थापित) और एनएसडीएल (1996 में भारत की पहली डिपॉजिटरी) में कुछ प्रमुख अंतर हैं:—प्रमोटर्स: सीडीएसएल को बीएसई, एसबीआई, एलआईसी आदि तथा एनएसडीएल को एनएसई, आईडीबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे संस्थानों का समर्थन प्राप्त है।

ग्राहक आधार: सीडीएसएल अधिकतर छोटे निवेशकों व ब्रोकर्स को सेवा देती है, जबकि एनएसडीएल संस्थागत निवेशकों (जैसे म्यूचुअल फंड, एफआईआई) पर केंद्रित है।

दावा क्या था, हकीकत क्या है? दोनों डिपॉजिटरीज – सीडीएसएल और एनएसडीएल – वॉंग करती हैं कि वे ;प्रतिस्पर्धा; लाती हैं।

लेकिन 2024 के आंकड़े इस झूठ को बेनकाब कर देते हैं:

प्रतिशत सीडीएसएल का बाज़ार हिस्सा: 76 प्रतिशत (सक्रिय खाते: 11.27 करोड़)

एनएसडीएलका बाज़ार हिस्सा: मात्र 24 प्रतिशत (सक्रिय खाते: 3.54 करोड़)

यह कैसी ;प्रतिस्पर्धा?; यह तो एक स्पष्ट एकाधिकार (सीडीएसएल) है, जिसके साथ एक दयनीय, कमज़ोर दूसरा खिलाड़ी (एनएसडीएल) खींचा जा रहा है! इसे बनाए रखना सरकारी और निजी संसाधनों की सीधी बर्बादी है – और कोई नहीं।

वित्तीय बर्बादी: आँखें खोलने वाले आंकड़े

एनएसडीएलका लागत ढांचा: एफवाइ 24 में एनएसडीएलने सीडीएसएल(221.6 करोड़) से ज़्यादा लेनदेन राज्य कमाया (308.6 करोड़), लेकिन फिर भी उसका ईबीआइटडा (382.49 करोड़) सीडीएसएल(584.43

करोड़) से काफी पीछे रहा। सीधा मतलब? एनएसडीएलका संचालन बेहद अक्षम, फूहड़ और महंगा है। उसका पूरा मॉडल ही घाटे का सौदा लगता है!

दोहराव का अंत क्यों ज़रूरी है? सीडीएसएल और एनएसडीएल, दोनों एक जैसी सेवाएं देती हैं – डिमेंट, रिमैट, ई-वोटिंग, सिक्योरिटी ट्रांसफर गैरह। इन कार्यों के लिए अलग-अलग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना, अलग टीमें रखना और अलग तकनीकी व्यवस्थाएं चलाना – यह सब उस समय में हो रहा है जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। यूरोपीय संघ से लेकर नॉर्वे, स्वीडन और यूके तक

– सभी ने समय रहते फाइनैशियल सेक्टर में एकीकरण की राह अपनाई और बेहतर परिणाम पाए। जब ये विकसित राष्ट्र एक नियामक मॉडल की ओर बढ़ सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? **विलय के संभावित लाभ**

1. लागत में भारी कमी: एकीकृत सिस्टम में स्केल की अर्थव्यवस्था मिलती है। कलाउड आधारित संचालन से 40 प्रतिशत तक लागत घटाई जा सकती है।

2. बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता: एक डिपॉजिटरी होने से जवाबदेही तय होगी, कार्यों में स्पष्टता आएगी और निवेशकों को भ्रम नहीं रहेगा।

3. निवेशक सेवा में सुधार: एक ही प्लेटफॉर्म से सभी सेवाएं मिलने पर निवेशकों को आसानी होगी। एकल पोर्टल से पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

4. तकनीकी लाभ: ए आई , डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक तकनीकी उपयों का बेहतर और केंद्रीकृत इस्तेमाल संभव हो जाएगा।

5. क्षेत्रीय प्रबंधन में सुधार: दो अलग-अलग सिस्टम्स के बजाय एक सिस्टम में जोखिम का मूल्यांकन और नियंत्रण बेहतर हो सकेगा।

प्रतिस्पर्धा का भ्रम

कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि दो संस्थाएं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं। लेकिन यह बात यहां लागू नहीं होती। असली प्रतिस्पर्धा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के स्तर पर होती है, न कि खुद डिपॉजिटरी संस्थानों में। जब 76 प्रतिशत का एकाधिकार पहले से ही मौजूद हो, तो प्रतियोगिता की बात करना केवल दिखावा है।

क्या होना चाहिए आगे का रास्ता? सरकार और नियामक संस्थाओं को अब इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। पर यह बदलाव अचानक नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध योजना ज़रूरी है:—चरणबद्ध तकनीकी एकीकरण, ताकि ट्रांजिशन स्मूथ रहे। कर्मचारियों की सुरक्षा, ताकि संस्थाओं के मौजूदा कर्मचारियों को नौकरियाँ सुरक्षित रहें। 2–3 वर्षों का ट्रांजिशन पीरियड, ताकि कोई व्यवधान न हो। स्पष्ट और सशक्त और कानूनी ढांचा, जिससे भविष्य में किसी तरह का कानूनी भ्रम न रहे।

निष्कर्ष:— यह एक बहुत ही ज़रूरी और विचारणीय मुद्दा है। हमारे देश में सीडीएसएल और एनएसडीएल दो डिपॉजिटरी संस्थाएं हैं जो निवेशकों के लिए लगभग एक जैसी सेवाएं देती हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके, प्रक्रियाएं और शुल्क एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से किसी एक में खाता खोलना हो, तो उसे अलग-अलग फॉर्म, अलग प्रसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर), अलग केवाईसी और अलग शुल्क जैसी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि इन दोनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण है, फिर भी इनके सिस्टम इतने अलग क्यों हैं – यह समझ से बाहर है।

मैं स्वयं पिछले 45 वर्षों से शेयर बाजार से जुड़ा हूँ और मेरे अनुभव के

आधार पर कहना चाहूंगा कि आज भी अगर कोई निवेशक एक डिपॉजिटरी से दूसरी में खाता ट्रांसफर करना चाहे, तो उसे काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है। ऐसे में ज़रूरत है कि इन दोनों संस्थाओं को पूरी तरह डिजिटल किया जाए ताकि खाता खोलने से लेकर बंद करने और लेनदेन तक कोई भी प्रक्रिया कागज़ों पर आधारित न हो। मानव हस्तक्षेप भी खत्म हो जाए – तभी डिजिटल भारत और पेपरलेस प्रोसेस का सपना पूरी तरह साकार होगा। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों का विलय होना चाहिए? तो मेरा मानना है – बिल्कुल होना चाहिए। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और ऐसी संस्थाएं जो एक जैसे काम कर रही हैं, उनका पुर्नगठन या विलय ज़रूरी है ताकि दोहराव से बचा जा सके और संसाधनों की बचत हो। कुछ लोगों को चिंता हो सकती है कि इससे एक संस्था की मोनोपोली हो जाएगी, लेकिन जब इनका संचालन सरकार के नियंत्रण में है तो ऐसी आशंकाएं बेबुनियाद हैं।

इसके उलट, यदि यह दोनों संस्थाएं एक हो जाती हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू और निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा। यह हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से और मज़बूत बनाएगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी छलंग साबित होगा। भारत ने जब यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और जीएसटी जैसे बड़े बदलाव सफलतापूर्वक अपनाए हैं, तब सीडीएसएल और एनएसडीएल का एकीकरण भी असंभव नहीं है। अब समय आ गया है कि भारत अपने पूंजी बाजार को मज़बूत करने के लिए यह कदम उठाए – ताकि निवेशकों की सरल, पारदर्शी और एकीकृत सेवाएं मिल सकें। सीडीएसएल और एनएसडीएल का विलय – यह अब एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की मांग है।

—सुनील दत्त गोयल,
 महानिदेशक, इम्पीरियल
 चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

अपने-अपने गांधी, अपने-अपने राम



राम निवास बैरवा

श्रद्धा का सैलाब आस्था का शिखर होता है। विचार-विवेक उन्हें गिरा-डिगा नहीं पातो। बल्कि विचार-विवेक उन्हें उग्र बना देता है। अपनी श्रद्धा के शिखर पुरुष की अतिमानवीय छवि की रक्षा करने पर उत्तारुत्त उप्त जन सैलाब में अपने-अपने स्वार्थों के कारण धर्मों, जातियों और नस्लों के रूप में उप-विभाजन के विचार जाता है। तब विचारों और विवेक को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि उस शिखर पुरुष के इर्द-गिर्द जमा स्वार्थ सिद्ध करने वाले अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। अपने उन प्रचारकों के बीच आस्था के शिखर पुरुष के विचारों से असहमति जताकर भी वह अपने अनुगामी लोगों के समूह को देखकर भाव विभोर हो जाता है। जनता समूह और सत्ता के गलियारों में भी उसकी पूजनिय बना दिया जाता है। इस प्रकार किसी भी संस्था या आन्दोलन में दो या दो से अधिक शिखर-पुरुष अवतरित हो जाते हैं।

सच्चाई बहुत ही हठीली चीज है,

वह कभी भी, किसी भी रूप में बाहर आ ही जाती है। सच्चाई को बाहर लाने वाले पहले चार्वक कहे जाते थे और आज वामपंथी। वामपंथी इसलिए कि संसदों में सत्ता पक्ष दायी तरफ की कुर्सियों पर बैठायें जाते हैं तथा विरोधियों को बायीं तरफ की कुर्सियों पर। और सत्ता पक्ष का विरोध करता है, इसलिए वामपंथी कहलाते हैं। सत्ता पक्ष, जैसे भी संभव हो सरकारी हिंसा और राजनीतिक हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को, वामपक्ष को, वामपंथ को दबाने की कोशिशें करता है। ऐसे में वे, उपनिषदों के नेति-नेति के सिद्धांत पर चलते हुए, अपने अपने विचारों, अपने अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। ये उनके अपने विचार, उनकी अपनी-अपनी मान्यताएं हैं। ये ही उनके अपने अपने गांधी होते हैं और अपने अपने राम होते हैं।

भगवान सिंह ने वर्षों पहले एक उपन्यास लिखा था, ‘अपने अपने राम’। राम एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित चरित्र है। राम को कई मिथकों, कई कथाओं, कई उप-कथाओं के माध्यम से मर्यादा की प्रतिभूति, पुरुषोत्तम से उठा कर किसी अदृश्य शक्ति ‘विष्णु’ का अवतार बनाकर अपौरुषेय बना दिया गया। इस प्रकार राम को सामाजिक आदर्श-चरिता को अतिमानवीय रूप दे दिया गया। इन्हीं के बीच भगवान सिंह ने राम के सामाजिक एवं मानवीय रूप को बताने की कोशिश की थी। वह भी शायद श्रद्धा के उस सैलाब का कोप-ध्वज बन सकता था, अतः अपनी कृति, अपने विचारों को “अपने अपने राम” शीर्षक दिया था।

वस्तुतः पूरी राम कथा अ-ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र और ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ के बीच तत्कालीन समाज का जाति व्यवस्था में संक्रमण के संघर्ष की कथा कही गई है, ‘राम’ को उसका नायक बताया गया है।

दशरथ की तीन पत्नियों का चार पुत्रों को नियोग की खीर खाकर जन्म देने से, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के शिष्यत्व में रहे और भरत और शत्रुघ्न वशिष्ठ के शिष्यत्व में। ऋषि परम्परा को मानने वाले विश्वामित्र ने लांछित अहिल्या को राजकुमार राम के माध्यम से सम्माना दिलवाना, अकाल में त्याग दी गयी लड़की सीता को जनक द्वारा पुत्री की तरह राजकुमारी बनाकर सक्षम राजकुमार राम से विवाह कराने में भी विश्वामित्र की भूमिका रही थी, क्योंकि बिना कुल गौर की लड़की से किसी भी राजकुमार से विवाह को रक्त की शुद्धता के पक्षधर उर्वशी नंदन वशिष्ठ की टीम कैसे स्वीकार कर सकती थी? बिना कुल गौर की सीता विश्वाह के बाद महारानी कैसे बन सकती थी, सो राम को सीता के साथ विश्वामित्र के अन्य शिष्य लक्ष्मण को भी वनवास दिलवाया गया। अन्त में गर्भवती सीता के वनवास को भी विश्वामित्र द्वारा संस्थित और सुरक्षित बनाया गया था। इस कथानक के अलावा आपने अपने अपने भी राम हो सकते हैं, मेरे अपने भी राम हो सकते हैं? लेकिन राजनीतिक हित साधकों के बीच राम को सही तरह से पहचानना मुश्किल है, क्योंकि उनके पीछे-पीछे चलने वाला जन-सैलाब किन्हीं लोगों के राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का माध्यम है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कम,

लेकिन राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का माध्यम ज़्यादा माना गया है।

आधुनिक भारत के इतिहास में भी सत्ता के शिखर पर पहुँचने वालों ने मोहनदास गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया और उन्हें कानूनी रूप से किसी भी प्रतिक्रिया और आलोचना से परे रखा गया है। गांधीजी के अलावा और भी कई लोगों को किसी भी तरह की आलोचना से परे रखा गया है जो कि गांधीजी के समकालीन हैं और विचार-चिंतन के अलावे आलोचक भी रहे हैं। राम को भी किसी आलोचना से परे रखने का रिवाज चल रहा है।

गांधीजी, हालांकि किसी अन्तर महाद्वीपीय राजहंस की पीठ पर सवार होकर भारत नहीं आये थे, बल्कि वाया लंदन किसी मिशन को पूरा करने के लिए भारत आये थे। 1915 में उनके भारत आगमन के बाद अगले तीन महिनों में ही हरिद्वार में हिन्दू महासभा बनाने वालों के समूह में शामिल रहे। बाद में 1920 में नागपुर के काँग्रेस अधिवेशन में अपनी प्रतिबद्धताओं को अमल में लाना शुरू किया। लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं था। अतः, नैतिक आदर्शों की पैरवी करने वाले के रूप में 1924 से स्वयं में परिवर्तन किया, जिससे उन्हें महात्मा का दर्जा दे दिया गया। उसी महात्मा के चारों ओर भारत की संत-पूजक जनता सिमटती गई और राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने वालों ने सत्ता के शिखर तक पहुँचने का रास्ताबना लिया था। सत्ता प्राप्ति के बाद गांधीजी के ग्राम स्वराज वाले राम राज्य के बदले ‘लोकतन्त्र’ का रास्ता अपनाया गया। इस लोकतन्त्र में अन्य

सहभागियों का हिन्दू स्वराज्य, हिन्दू राज्य आदि पीछे छूट गया। मुस्लिम-स्वराज का पाकिस्तान बना दिया गया। उम्मीद की गई थी कि मुसलमान पाकिस्तान में चले जायेंगे तब विशुद्ध हिंदू ही भारत में रह जायेंगे। परन्तु, पाकिस्तान के हिस्से में जितने मुसलमान बसे उनसे ज़्यादा तो भारत में रह गये। इसी लोकतन्त्र की व्यवस्था ने गांधीजी के पूजकों को सत्ता तो मिली ही, महात्मा गांधी के विरोधियों को भी सत्ता के शिखर तक पहुँचाने का मार्ग निर्धारित कर दिया था। और, वे सत्ता के शिखर तक पहुँच भी गये, परन्तु गांधीजी के राष्ट्रपिता के दर्जे को वापस लेने स्थिति में इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कोई नहीं आ सकता। बेशक चाहे कोई महात्मा गांधी की सत्ता के शिखर को लेकर आलोचना कर सकते हों, चर्चिल का गांधी अलग था, इरविन का अलग, नेहरू का अलग गांधी था तो सावरकर का अलग। सबके अपने अपने गांधी रहे हैं और हैं भी। लेकिन वे गांधीजी के राष्ट्रपिता के आभासंडल से, उनके प्रभासंडल से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे राम को ‘राम-राम’ के स्वाभाविक अभिवादन से निकाल कर “जय सिया राम” और “जय श्री राम” केजयघोष तक ले आये हों, महात्मा गांधी को उनकी अपनी स्थिति से डिगाने की कोशिश में हो सकते हों, परन्तु राष्ट्रपिता घोषित हो जाने के बाद गांधी अडिग है। अपने-अपने गांधी होने का यही फलसफा है।

—राम निवास बैरवा,
 पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

झुंझुनूं शहर में जलभराव की समस्या को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई

■ नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाई

के कारण जगह-जगह पर जलभराव की समस्या पैदा हो रही है, लेकिन हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने

झुंझुनूं, (निदा)। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने झुंझुनूं शहर में जलभराव की समस्या पर नाराजगी जाहिर की है।

रविवार को झुंझुनूं में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि उन्होंने भी रोड नंबर तीन पर होने वाले जलभराव की समस्या को खुद देखा है। इसके बाद उन्होंने नगर

परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इससे स्थानीय समाधान के लिए प्लान बनाने और साथ ही साथ नगर परिषद में एक क्वट रेसोर्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। डॉ. गर्ग ने कहा कि यह बात सही है कि नगर परिषद ने नालों की सफाई करने में देरी की है, जिसके कारण वर्तमान में हो रही बारिश

झुंझुनूं, (निदा)। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने झुंझुनूं शहर में जलभराव की समस्या पर नाराजगी जाहिर की है। रविवार को झुंझुनूं में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि उन्होंने भी रोड नंबर तीन पर होने वाले जलभराव की समस्या को खुद देखा है। इसके बाद उन्होंने नगर

परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इससे स्थानीय समाधान के लिए प्लान बनाने और साथ ही साथ नगर परिषद में एक क्वट रेसोर्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। डॉ. गर्ग ने कहा कि यह बात सही है कि नगर परिषद ने नालों की सफाई करने में देरी की है, जिसके कारण वर्तमान में हो रही बारिश

झुंझुनूं, (निदा)। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने झुंझुनूं शहर में जलभराव की समस्या पर नाराजगी जाहिर की है। रविवार को झुंझुनूं में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि उन्होंने भी रोड नंबर तीन पर होने वाले जलभराव की समस्या को खुद देखा है। इसके बाद उन्होंने नगर

परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इससे स्थानीय समाधान के लिए प्लान बनाने और साथ ही साथ नगर परिषद में एक क्वट रेसोर्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। डॉ. गर्ग ने कहा कि यह बात सही है कि नगर परिषद ने नालों की सफाई करने में देरी की है, जिसके कारण वर्तमान में हो रही बारिश

झुंझुनूं, (निदा)। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने झुंझुनूं शहर में जलभराव की समस्या पर नाराजगी जाहिर की है। रविवार को झुंझुनूं में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि उन्होंने भी रोड नंबर तीन पर होने वाले जलभराव की समस्या को खुद देखा है। इसके बाद उन्होंने नगर

परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इससे स्थानीय समाधान के लिए प्लान बनाने और साथ ही साथ नगर परिषद में एक क्वट रेसोर्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। डॉ. गर्ग ने कहा कि यह बात सही है कि नगर परिषद ने नालों की सफाई करने में देरी की है, जिसके कारण वर्तमान में हो रही बारिश

झुंझुनूं, (निदा)। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने झुंझुनूं शहर में जलभराव की समस्या पर नाराजगी जाहिर की है। रविवार को झुंझुनूं में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि उन्होंने भी रोड नंबर तीन पर होने वाले जलभराव की समस्या को खुद देखा है। इसके बाद उन्होंने नगर



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल

सोमवार 7 जुलाई, 2025

आषाढ़ मास, शुक्ल प